भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **1053**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025/3 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों पर राजसहायता

1053. श्री नलिन सोरेन:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न उर्वरकों पर प्रदान की गई राजसहायता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और उर्वरक-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उर्वरकों पर प्रदान की गई राजसहायता से गरीब और सीमांत किसानों को लाभ हुआ है और यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) क्या सरकार का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से किसानों के खातों में सीधे उर्वरकों पर राजसहायता प्रदान करने का विचार है; और
(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): 'उर्वरकों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)' प्रणाली के तहत, प्रत्येक खुदरा दुकान पर स्थापित पीओएस उपकरणों के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के आधार पर लाभार्थियों को की गई वास्तविक बिक्री पर उर्वरक कंपनियों को विभिन्न उर्वरक ग्रेडों पर 100% सब्सिडी जारी की जाती है। सभी किसानों (लघु, मध्यम और बड़े किसानों सहित) को बिना किसी मनाही के सब्सिडी प्राप्त दरों पर उर्वरकों की आपूर्ति की जा रही है। सरकार द्वारा 2022-23 से 2025-26 (21.07.2025 की स्थिति के अनुसार) तक प्रदान की गई कुल उर्वरक सब्सिडी का विवरण इस प्रकार है:

(राशि करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	सब्सिडी स्कीमें				कुल योग
	आयातित पीएंडके	स्वदेशी पीएंडके	स्वदेशी यूरिया	आयातित यूरिया	
2022-23	36032.56	50089.67	127311.05	41365.60	**254798.88**
2023-24	28929.57	36270.00	102027.00	28193.94	**195420.51**

2024-25	18800.00	34010.00	103319.50	21000.00	**177129.50**
2025-26 (21.07.2025 की स्थिति के अनुसार)	3977.77	10404.59	30940.82	4006.70	**49329.88**
कुल योग	**87739.90**	**130774.26**	**363598.37**	**94566.24**	**676678.77**

(ख): यूरिया उर्वरक के संबंध में, किसानों को यूरिया वैधानिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर प्रदान किया जाता है। यूरिया की 45 कि.ग्रा. बोरी की एमआरपी 242 रुपए प्रति बोरी (नीम लेपन के प्रभार और लागू करों को छोड़कर) है। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा यूरिया उत्पादक/आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तदनुसार, सभी किसानों को यूरिया की आपूर्ति सब्सिडी प्राप्त दरों पर की जा रही है।

फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के संबंध में, सरकार ने इन उर्वरकों के लिए 01.04.2010 से पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू की है। इस नीति के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त पीएण्डके उर्वरकों पर उनमें निहित पोषक-तत्व के आधार पर वार्षिक आधार पर तय की गई सब्सिडी की एक नियत राशि उपलब्ध कराई जाती है। इस नीति के अंतर्गत उर्वरक कंपनियों द्वारा एमआरपी बाजार के उतार चढ़ाव के अनुसार उचित स्तर पर नियत किया जाता है, जिसकी निगरानी सरकार द्वारा की जाती है।

तदनुसार, कोई भी किसान जो इन उर्वरकों को खरीद रहा है, उसे सब्सिडी का लाभ मिल रहा है।

(ग) और (घ): डीबीटी प्रणाली में उर्वरक उत्पादक/आयात करने वाली कंपनियों (आयातित यूरिया को छोड़कर) को सब्सिडी का भुगतान खुदरा विक्रेता द्वारा पीओएस मशीनों के माध्यम से लाभार्थी को की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर करना होता है। खरीदार की पहचान आधार आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से सत्यापित की जाती है। उर्वरकों की बिक्री 'बिना किसी मनाही के' आधार पर की जा रही है क्योंकि कोई परिभाषित लाभार्थी नहीं है। गरीब और सीमांत किसानों सहित आधार प्रमाणित कोई भी लाभार्थी आधार प्रमाणीकरण के आधार पर उर्वरक खरीद सकता है।

******